राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुरा

(पीठासीन अधिकारी प्रकाश चन्द्र रेगर, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 129/2025 निगरानी

1. जसराज सिंह आत्मज श्री लक्ष्मण सिंह राजपूत निवासी अमरवासी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा 2. रतन कंवर पत्नी श्री लक्ष्मण सिंह राजपूत निवासी अमरवासी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा 3. भंवर कंवर पुत्री श्री लक्ष्मण सिंह राजपूत निवासी अमरवासी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा –निगराकार	बनाम	1. हरिराज सिंह आत्मज श्री लक्ष्मण सिंह राजपूत निवासी अमरवासी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा 2. ग्राम पंचायत अमरवासी जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत, अमरवासी तहसील जहाजपुर 3. ए०यु० फायनेन्स शाखा शाहपुरा जरिये शाखा प्रबन्धक ए०यु० फायनेन्स लि० शाहपुरा तहसील शाहपुरा –गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1996 विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत अमरवासी आदेश दिनांक 07.07.2018।

उपस्थित –

1. श्री अनुराग पाण्डेय अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री भैरू सिंह राठौड अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 06.03.2026

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि

अति.जिला कलक्टर
शाहपुरा

ग्राम अमरवासी में निगराकारगण के मौरूसी मुश्तरका अविभक्त पैत्रिक रिहायसी जायदाद निम्न पड़ौसान के मध्य नपती पूर्व में–आम रास्ता, पश्चिम में– स्वंय का बाड़ा उत्तर में– भवानी सिंह आत्मज श्री भैरू सिंह, दक्षिण में– ओमप्रकाश पिता रामधन उक्त जायदाद का राज० पंचायती राज नियम 157 के तहत ग्राम पंचायत, अमरवासी द्वारा तन्हा गैरनिगराकार सं0 01 के नाम पट्टा जारी कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत हैं कि ग्राम पंचायत, अमरवासी द्वारा जारी पट्टा आदेश दिनांक 07–05–2018 विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त होने योग्य हैं। निगराकार एंव गैरनिगराकार सं० 01 एक ही परिवार के सदस्य है। निगराकार एंव गैरनिगराकार के परिवार का सजरा वंश वृक्ष निम्न अनुसार है।

लक्ष्मण सिंह पिता मदन सिंह जी राजपूत

जसराज सिंह	हरिराज सिंह	भंवर कंवर	रतनकंवर	उच्छव कंवर
पुत्र	पुत्र	पुत्री	पत्नी	माता

इस प्रकार निगराकार एंव गैरनिगराकार सं0 01, 02, 03 व 04 स्वर्गीय श्री लक्ष्मण सिंह जी के पुत्र, पुत्री एंव पत्नी व माता हैं। निगराकार सं0 01 व 4 का भाई व निगराकार सं० 02 का पुत्र तथा निगराकार सं० 03 का पौत्र है। वादग्रस्त पट्टा वाली जायदाद निगराकार सं० 01 लगायत 04 की मौरूसी मुश्तरका जायदाद हैं। तथा उक्त जायदाद मौरूसी मुश्तरका शामलाती जायदाद होने से निगराकार का जन्मतः हक व अधिकार निहित हैं। तथा उक्त जायदाद का निगराकार भी को–पार्सनर हैं। तथा अन्य निगराकार सं0 01 लगायत 04 एंव गैरनिगराकार सं0 01 के साथ साथ हक व हिस्सा शामलाती तौर निहित हैं। अर्थात गैरनिगराकार सं0 01 उक्त जायदाद का तन्हा स्वामी मालिक काबिज नहीं हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत अमरवासी ने गलत तौर बिना कोई जॉच किये वादग्रस्त पट्टा केवल मात्र अकेले गैरनिगराकार सं0 01 के नाम जारी किया गया है। उक्त जायदाद निगराकार के दादाजी, पर–दादाजी के समय की हो कर निगराकार के मौरूसी जायदाद हैं। तथा निगराकार सं० 01 के गर्भ में आते ही धारा 06 हिन्दु उत्तराधिकार अधि० के तहत हक व अधिकार सृजित विधि अनुसार निहित हो गयें। तथा दादाजी के देहावसान के बाद विरासत से ही निगराकार का उक्त जायदाद में

अति.जिला कलक्टर
शाहपुरा

गैरनिगराकार के समान ही 1/5 एक बटा पाँच हक व हिस्सा निहित हो गया हैं। इस कारण उक्त जायदाद में गैरनिगराकार सं0 01 के साथ ही हक व अधिकार शामलात में चले आ रहें हैं। तथा कानून अविभक्त जायदाद का जायदाद के प्रत्येक इंन्च भू–भाग पर आधिपत्य शामलात में चला आ रहा हैं। किसी भी जायदाद को अन्तरित के दो ही माध्यम हैं यो तो जायदाद का विरासत ऑपन हो कर जायदाद अन्तरित हो अथवा किसी भी रजिस्टर्ड डीड से अन्तरित होती हैं। लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में निगराकारगण की बिना सहमती एंव विभाजन करवाये ही पट्टा तन्हा गैर निगराकार सं० 01 ने ग्राम पंचायत से मिलाभगती कर निगराकार सं0 01 जसराज सिंह एंव पिता जी लक्ष्मण सिंह जी के फर्जी हस्ताक्षर करके अनापत्ति प्रमाण/सहमती पत्र 50/–50/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर तैयार कर प्रस्तुत कर गैरनिगराकार सं0 01 के पक्ष में जालसाजी करते हुवे फर्जीयात से जारी करवाया गया है। उक्त अनापत्ति प्रमाण/सहमती पत्र भी अवैध हैं। क्योंकि निगराकारगण के हक व हिस्से के बाबत् लक्ष्मण सिंह जी को तथा जसराज सिंह को इस प्रकार का अनापत्ति प्रमाण सहमती पत्र जारी करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार बिना वसीयत के किसी भी व्यक्ति की मृत्यू हो जाने पर उसकी विरासत सभी प्रथम श्रेणी के वारिसान में निहित होगी। तथा ऐसे दस्तावेज से किसी भी जायदाद में मालिकाना हक अन्तरित नहीं हो सकते हैं। अलावा इसके निगराकार सं० 01 द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त अनापत्ति प्रमाण/सहमती पत्र की कलम सं0 01 में जायदाद की नपती का स्थान खाली है। इसलिये यह कदापि नही माना जा सकता हैं कि सम्पूर्ण जायदाद हेतू अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमती पत्र निष्पादित किया गया हो। तथा सभी सहअशंधारियों के मध्य विभाजन रजि० विलेख से ही संभव है। गैरनिगराकार सं0 02 दो की आयू ही वर्तमान में केवल 30 वर्ष हैं। और इस प्रकार जायदाद पर विगत 50 पच्चास वर्ष से काबिज चले आ रहें व्यक्ति के नाम पर ही इस नियम में पट्टा जारी किया जा सकता हैं। जैसा की विवादित पट्टे में वर्णित पड़ौसियों में से एक का भी सहमती प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया। अलावा इसके निगराकार सं० 01 ने गलत अवैध तौर पट्टा प्राप्त कर गैरनिगराकार सं० 03 के यहा गिरवी रख कर लॉन भी प्राप्त कर लिया है। तथा गैरनिगराकार सं0 01 के उक्त फर्जीयात की जानकारी अभी हॉल ही में गैरनिगराकार सं० 03 द्वारा लॉन की किश्ते बकाया होने पर जानकारी देने पर हुई

अति.जिला कलक्टर
शाहपुरा

है। वादग्रस्त पट्टे वाली जायदाद का आज दिन तक निगराकारगण एंव गैरनिगराकार सं0 01 के मध्य कोई विभाजन नहीं हुआ हैं। और यदि विभाजन हो गया होता तो निगरकार सं० 01 व लक्ष्मण सिंह जी को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की क्या विधिक आवश्यकता लाजमी हुई, इस प्रकार वादग्रस्त पट्टा नितान्त अवैध जौर जारी किया गया हैं। तथा पड़ौसियों के हस्ताक्षर भी गैरनिगराकार ने गलत तौर करवाये गयें हैं,। उपरोक्त समस्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निवेदन हैं कि गैरनिगराकार सं0 02 दो ने ग्राम पंचायत अमरवासी से सांठ गांठ कर अवैध तौर वादग्रस्त पट्टा गैर निगराकार सं0 01 ने प्राप्त किया हैं। जो अवेध होने से निरस्त होने योग्य है। उक्त पट्टे के आधार अपना मालिकाना हक बता गैरनिगराकार सं० 03 के यहाँ मोर्डगेज रख कर तथा निगराकारगण के मालिकाना हक व अधिकार एंव कब्जेशुदा शामलाती जायदाद को गैरनिगराकार सं० 03 को धोखे में रख कर ऋण (लॉन) प्राप्त कर लिया हैं। निगराकारगण का उक्त जायदाद में स्वामित्व, हक, हिस्सा एंव कब्जा हैं। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा निगराकार को सुनवायी का कोई अवसर नहीं दिया गया हैं। स्व० श्री लक्ष्मण सिंह जी सभी वारिसान को सुनवायी का अवसर कानून दिया जाना आवश्यक था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा इन बिन्दुओं के बाबत् कोई जॉच ही नहीं की और वादग्रस्त पट्टा अवैध तौर जारी कर दिया गया। कानून निगराकार को बैंक से ऋण वसूली की कार्यवाही होने पर बैंक शाखा से अधिकारी के मौके पर आ कर बताये जाने पर गैरनिगराकारान् के समस्त षड़यन्त्र की जानकारी दिनांक 20–07–2022 को हुई। अतः यह निगरानी अविलम्ब आवश्यक नकलें प्राप्त कर प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः प्रार्थना हैं कि निगरानी निगराकारगण सव्यय स्वीकार फरमायी जा कर ग्राम पंचायत, अमरवासी द्वारा पारित आदेश पट्टा जारी दिनांक 07–05–2018 बहक हरिराज सिंह व पट्टा सं0–15 दिनांक 07–05–2018 को खारीज फरमाया जावें।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय में दायर की जाकर गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में गैर निगराकारान संख्या 01 की ओर से श्री भैरू सिंह राठौड द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया। गैर निगराकारान सं. 03 उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। अधिवक्ता गैर निगराकारान संख्या 01 द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया जाकर सीधी बहस करनी चाही।

प्रकरण में उपभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता निगराकार ने

अति.जिला कलक्टर
शाहपुरा

अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि उक्त जायदाद मौरूसी मुश्तरका शामलाती जायदाद होने से निगराकार का जन्मतः हक व अधिकार निहित हैं। तथा उक्त जायदाद का निगराकार भी को–पार्सनर हैं। तथा अन्य निगराकार सं0 01 लगायत 04 एंव गैरनिगराकार सं0 01 के साथ साथ हक व हिस्सा शामलाती तौर निहित हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत अमरवासी ने गलत तौर बिना कोई जॉच किये वादग्रस्त पट्टा केवल मात्र अकेले गैरनिगराकार सं0 01 के नाम जारी किया गया हैं। कानून अविभक्त जायदाद का जायदाद के प्रत्येक इंन्च भू–भाग पर आधिपत्य शामलात में चला आ रहा हैं। किसी भी जायदाद को अन्तरित के दो ही माध्यम हैं यो तो जायदाद का विरासत ऑपन हो कर जायदाद अन्तंरित हो अथवा किसी भी रजिस्टर्ड डीड से अन्तरित होती हैं। लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में निगराकारगण की बिना सहमती एंव विभाजन करवाये ही पट्टा तन्हा गैर निगराकार सं० 01 ने ग्राम पंचायत से मिलाभगती कर निगराकार सं0 01 जसराज सिंह एंव पिता जी लक्ष्मण सिंह जी के फर्जी हस्ताक्षर करके अनापत्ति प्रमाण/सहमती पत्र 50/–50/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर तैयार कर प्रस्तुत कर गैरनिगराकार सं0 01 के पक्ष में जालसाजी करते हुवे फर्जीयात से जारी करवाया गया है। उक्त अनापत्ति प्रमाण/सहमती पत्र भी अवैध हैं। क्योंकि निगराकारगण के हक व हिस्से के बाबत् लक्ष्मण सिंह जी को तथा जसराज सिंह को इस प्रकार का अनापत्ति प्रमाण सहमती पत्र जारी करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार बिना वसीयत के किसी भी व्यक्ति की मृत्यू हो जाने पर उसकी विरासत सभी प्रथम श्रेणी के वारिसान में निहित होगी। तथा ऐसे दस्तावेज से किसी भी जायदाद में मालिकाना हक अन्तरित नहीं हो सकते हैं। पड़ौसियों के हस्ताक्षर भी गैरनिगराकार ने गलत तौर करवाये गयें हैं,। परन्तु इसे प्रमाणित कराने हेतु उक्त प्रश्नगत पटटे के खारिज किये जाने के संबंध में लगाये गये आक्षेपों को निराधार साबित करने हेतु, गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा कोई पुष्ट व प्रमाणिक दस्तावेज/साक्ष्य पेश नही किये गये। अतः निगरानी निगराकारगण सव्यय स्वीकार फरमायी जा कर ग्राम पंचायत, अमरवासी द्वारा पारित आदेश पट्टा जारी दिनांक 07–05–2018 बहक हरिराज सिंह व पट्टा सं0–15 दिनांक 07–05–2018 को खारीज फरमाया जायें।

अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 01 ने अपनी बहस में बताया की

अति.जिला कलक्टर
शाहपुरा

निगराकारान की सहमति से उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार सं. 1 के पक्ष में जारी किया गया है। निगराकारान के सहमति पत्र पट्टा पत्रावली में संलग्न है। यह सही है की यह पुश्तैनी मकान है। लेकिन सभी की सहमति से ही पट्टा जारी हुआ है। अतः निगराकारान की निगरानी खारिज फरमाई जावें।

प्रकरण में उभयपक्षो की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि ग्राम पंचायत अमरवासी द्वारा विपक्षी संख्या 01 के के नाम दिनांक 07.07.2018 को पटटा/प्लॉट संख्या 15 क्षैत्रफल 2259 वर्गफिट 253.43 वर्गगज का जारी किया जाना पत्रावली से जाहिर होता हैं। प्रकरण के साथ संलग्न ग्राम पंचायत अमरवासी, पंचायत समिति जहाजपुर की पत्रावली संख्या 15 दिनांक 07.05.2018 के परीक्षण से ज्ञात होता है कि गैर निगराकार हरिराज सिंह के द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष पुश्तैनी मकान का पट्टा बनवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पडौसियों के नाम में काट छांट की हुई है तथा पत्रावली में संलग्न नजरी नक्शा में भी बताये गये आवेदन प्रार्थना पत्र अनुसार पडौस के अंकन भिन्न होना पाया गया है। पत्रावली में पिता एवं भाई का सहमति एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र में भी शपथकर्ता के हस्ताक्षर नही होकर केवल सत्यापन पर हस्ताक्षर अंकित है। तथा शपथ पत्र में पट्टे का नाप एवं दिनांक नहीं अंकित है। दो अन्य शपथ पत्र महावीर एवं ओमप्रकाश के द्वारा दिये गये शपथ पत्रो में भी संबधित के हस्ताक्षर नही होकर केवल शपथ पत्र के सत्यापन पर हस्ताक्षर किये गये है। ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र में भी स्वयं प्रार्थी द्वारा मकान पुश्तैनी होना माना है। पत्रावली में पुश्तैनी मकान के नजरी नक्शे एवं भाई, पिता व पडौसियों के सहमति व अनापत्ति प्रमाण पत्र में भी पुश्तैनी मकान के बताये गये पडौसी में एवं गैर निगराकार के पट्टा हेतु आवेदन पत्र के बताये गये पडौसी में अन्तर है।

गैर निगराकार संख्या 1 के नाम जारी आवासीय भूमि के पट्टे वाली आबादी भूमि निगराकार की पुश्तैनी होकर पिता व भाई के सहमति एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर नही होकर केवल सत्यापन पर हस्ताक्षर होना, बहन की सहमति न होना, पट्टे का नाप लिखा नही होना व दिनांक न होने से सरपंच ग्राम पंचायत अमरवासी द्वारा की गयी कार्यवाही संदेहास्पद है।

अति. जिला कलक्टर

प्रश्नगत पटटा पंचायतीराज नियमों एवं प्रकिया का पालन नही किये जाने से काबिले खारिज हैं।

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत अमरवासी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा के पटटा संख्या 15 दिनांक 07.05.2018 जरिये पत्रावली संख्या 06/2018 को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत अमरवासी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/3/26

(प्रकाश चन्द्र रेगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहपुरा